

चन्द्रा ईवी - रामप्रताप सेनी ए. नं. - 11/2013

दिनांक

आज्ञा पत्र

3.6.19

प्रस्तुत वकील अपीलान्त / रैफरेंस नं. 11/2013,
 अधिकारी महोदय आज
 एवं । अतः पत्रावली पूर्ण जाहानुसार दिनांक 22-7-19
 को स्व हो

22-7-19

प्रस्तुत वकील अपीलान्त / रैफरेंस नं. 11/2013,
 अधिकारी महोदय आज
 एवं । अतः पत्रावली पूर्ण जाहानुसार दिनांक 16-10-19
 को स्व हो

16-10-19

पत्रावली पेश / वकील उमर पट्टा 340 /
 वकील अपीलान्त रैफरेंस. नं. 4, 6 के रैफरेंस
 केवल पेश कर पेश करने पर जाते है /
 तदन को रैफरेंस नं. 4 है / पत्रावली को
 तलकी दि. 2-12-19 को पेश है /

Ans

2-12-19

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को
 बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल
 6 बजे तक बार बार दिलाई गई । इन्तजार किया गया
 उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता
 अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी
 एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास
 सुनाया गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
 बाद तर्तीव तकमील दाखिल बकतर हो।

प्रवन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजा अपील अधिकारी
 कीकर

